

**[2016] 1एस.सी.आर 931**

**झारखंड राज्य और अन्य।**

**बनाम**

**टाटा स्टील लिमिटेड और अन्य।**

**(2007 की सिविल अपील संख्या 4285)**

**12 फरवरी 2016**

**[दीपक मिश्रा और एन.वी.रमना, जे जे]**

**झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 -धारा 95 (3) (II)**

न आस्थगन/छूट - का लाभ - औद्योगिक इकाइयों के लिए - प्रतिवादी की इकाइयों को 8 वर्षों के लिए बिक्री कर के भुगतान से व्यय का लाभ दिया गया - इकाइयों ने 01-08-2000 से 31-03-2006 तक 6 वर्षों के लिए कर छूट प्राप्त की - तत्पश्चात् जेवीएटी अधिनियम ने छूट वापस ले ली किन्तु 01-04-2006 से 31-07-2008 तक की शेष अवधि के लिए कर का आस्थगन - प्रथम प्रतिवादी द्वारा आवेदन शेष अवधि के लिए कर की छूट से कर के स्थगन में रूपांतरण के लिए

छूट - आवेदन अस्वीकृत - अपील में, उच्च न्यायालय ने कर के स्थगन को मंजूरी दे दी, तथापि, छूट की वापसी को बरकरार रखा - अपील पर, आयोजित किया गया अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल आस्थगित राशि का पुनर्भुगतान दस समान छह मासिक किस्तों में इस तरीके से किया जाना चाहिए कि स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया जाए - शब्द "से- स्थगन की शुरुआत की तारीख" के साथ सांठगांठ होनी चाहिए शुरुआत में बताई गई नीति - वर्तमान मामले में, छूट की अवधि

को कर के स्थगन की अवधि में बदल दिया गया है - यह 8 वर्ष के लिए है - चुकौती अनुसूची स्थगन की पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष है - 5 वर्ष की अवधि ऐसी होनी चाहिए यह व्यवस्था की गई है कि यह स्थगन की तारीख से 13 वर्ष से अधिक नहीं है - इस प्रकार, चुकौती अनुसूची पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त होनी है - विशेष विशेषताओं के कारण, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया - निर्धारिती के पास . इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पहले ही राशि जमा कर दी गई है - इस प्रकार निर्धारिती को प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करना है - बिहार . वित्त अधिनियम, 1981 - धारा 23क - झारखंड मूल्य वर्धित कर नियम, 2006 - आरआर। 64, 66.

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय

**अभिनिर्धारित :** 1.1 झारखंड मूल्य वर्धित की धारा 95 (3) (ii)

कर अधिनियम, 2005 में यह परिकल्पना की गई है कि एक पंजीकृत डीलर जो कर छूट का लाभ उठा रहा था, को जेवीएटी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को असमाप्त अवधि के लिए कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा में परिवर्तित करने की अनुमति है। निर्धारिती-कंपनी ने स्थगन का लाभ उठाया है और कर की राशि का भुगतान किया है। [पैरा 151 [943-एफ]

1.2 कर के आस्थगन का लाभ कुछ नियमों और शर्तों के तहत दिया जाता है। इनमें से एक निबंधन और शर्त औद्योगिक इकाई द्वारा कर राशि के स्थगन की अदायगी से संबंधित है। पैरा 5 के उप-पैरा (1) के पहले भाग में यह निर्धारित किया गया है कि आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान पूरा होने के बाद करना होगा

आस्थगन की पात्रता अवधि या नियत पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो। वर्तमान मामले में, छूट की अवधि को कर के स्थगन की अवधि में बदल दिया गया है। यह 8 साल के लिए है। निर्धारिती ने 6 साल की अवधि के लिए छूट का लाभ उठाया था और वह

वर्ष 2006 में शुरू हुई शेष अवधि के लिए कर का स्थगन। [पैरा27][949

1.3 अधिसूचना में यह स्पष्ट अभिधारणा दी गई है कि कुल आस्थगित राशि की चुकौती दस समान छह मासिक किस्तों में इस तरीके से की जानी चाहिए कि आस्थगन की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरी की जाए। शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" का शुरुआत में बताई गई नीति के साथ संबंध होना चाहिए। यदि इकाई 01.09.1995 और 31.08.2000 के बीच शुरू हुई है तो नीति लागू होगी; कि इसके पास निर्धारित प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाणन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे उक्त उद्देश्य के लिए पात्रता प्रमाणपत्र दिया गया है। पॉलिसी केवल तभी लागू होगी जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी और फिर निर्धारित अवधि के लिए विनिर्मित तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर के आस्थगन का लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। इसलिए, प्राधिकरण को स्थगन प्रदान करने के लिए निर्धारित जी अवधि निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। शुरुआत में, 1 प्रतिवादी को छूट दी गई थी। छूट की अवधारणा कर के स्थगन की अवधारणा से अलग है। जेवीएटी अधिनियम लागू होने के बाद, वैधानिक प्रावधानों के तहत, कोई छूट नहीं थी और लाभार्थी स्थगन की योजना में परिवर्तित होने के हकदार थे। अवधि बरकरार रहती है, यानी 8 साल। वही

झारखंड राज्य बनाम टाटा स्टील लिमिटेड

1 समान छह मासिक किस्तों में की जानी है और यह अवधि 5 वर्ष है। चुकौती आस्थगन की पात्रता अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद शुरू होती है। निर्धारित प्राधिकारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है लेकिन उसे अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। उक्त प्राधिकरण अधिसूचना की शर्तों से परे नहीं जा सकता है। अधिसूचना में नियोजित भाषा में यह बताया गया है कि प्रमाण पत्र का अनुदान ऐसा होना चाहिए कि पात्रता अवधि की समाप्ति के बाद, राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन यह अंतर स्थगन

की शुरुआत की तारीख से 13 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यह अधिसूचना से नहीं आता है कि यदि 8 साल या उससे कम अवधि के लिए लाभ दिया जाता है, तो निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकता है कि अनुदान की तारीख से 13 वर्षों के भीतर चुकौती पूरी की जानी है।

मामले में, निर्धारिती का दावा है कि चुकौती अनुसूची को 2006 से 13 साल की अवधि के लिए जारी रखना है, स्थगन के लिए केवल 2006 में शुरू हुआ। इस तरह की व्याख्या न केवल अधिसूचना में नियोजित भाषा को गंभीर हिंसा का कारण बनती है, बल्कि अगर इसे इस तरह से समझने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक बेतुकी स्थिति पैदा करेगा। इसके अलावा, अधिसूचना से इरादा निकाला जा सकता है कि इसे 13 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ पात्रता की तारीख से संबंधित होना चाहिए। यह पात्रता अवधि के पूरा होने की तारीख से 13 वर्ष का मतलब नहीं लगाया जा सकता है। चुकौती अनुसूची स्थगन की पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष है। 5 वर्ष की अवधि को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह स्थगन की तारीख से 13 वर्ष से अधिक न हो। पैरा 5(1) में प्रयुक्त भाषा को इस तरीके से समझा जाना चाहिए - इसे \* उचित अर्थ देने के लिए। अन्यथा, निर्धारिती की ओर से प्रतिपादित व्याख्या से विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि जहां तक पात्रता अवधि के पूरा होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर चुकौती की अनुसूची के निर्धारण का संबंध है, पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाएगा। शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" निर्धारिती के वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से कोई अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह वैधानिक व्याख्या का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि कोई व्याख्या बेतुकापन की ओर झुकती है, तो

उससे बचा जाना चाहिए। यदि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसका इरादा, उद्देश्य और कार्य बिल्कुल स्पष्ट है।

सरल शब्दों पर रखी गई व्याख्या वास्तव में संदर्भ से परे है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि चुकौती अनुसूची पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त होनी चाहिए। [पैरा 271 [949-जीएच; 950-ए-एच; 951-ए-सीआई]

1.4 नियमों के नियम 66 में नियमों के उल्लंघन के लिए भुगतान का प्रावधान है। नियमावली के नियम 66 के अंतर्गत यथा परिकल्पित शास्ति लगाने के प्रश्न को मौजूदा मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि तात्कालिक मामले में विशेष विशेषताएं दिखाई गई हैं। मामले की विशेष विशेषताओं के संबंध में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती-1 प्रतिवादी ने पहले ही जमा कर दिया था

इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राशि और मुकदमेबाजी की प्रकृति के संबंध में, यह निर्देश दिया जाता है कि 1 प्रतिवादी-निर्धारिती प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करेगा और उक्त राशि तीन महीने के भीतर राजस्व के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी। [पैरा 281 [951-डी-एफ]

तेलंगाना स्टील इंडस्ट्रीज वी. (2) एससीसी 259:1994 (2) एससीआर 324; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड झारखंड राज्य और अन्य (2004) 7 एससीसी 242; हंसराज गोरधनदास बनाम एचएच दवे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, सूरत और टिवो के सहायक कलेक्टर। (1969) 2 एससीआर 252; उत्कल कॉन्ट्रेक्टर्स एंड जॉइनरी प्रा लि एवं अन्य बनाम उत्कल कांट्रेक्टर्स एंड जॉइनरी प्रा. उड़ीसा राज्य और अन्य (1987) 3 एससीसी 279 1987 (3) एससीआर 317; डब्ल्यूएस डॉयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वी। यूनियन ऑफिया और अन्य (1988) 2 एससीसी 299: 1988 (2) एससीआर 962; केशवजी रावजी एंड कंपनी और अन्य बनाम कनिसियोनर क्यूएफ आयकर (1990) 2 एससीसी 231: 1990 (1) एससीआर 243; महादेव प्रसाद बैस (मृत) बनाम

आयकर अधिकारी 'ए' वार्ड, गोरखपुर और अन्य (1991) 4 एससीसी 560: 1991 (एल) पूरक एससीआर 9; ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस वी। इंकोटेन टैक्स आयुक्त (2001) 3 एससीसी 359: 2001 (1)  
एससीआर 574; बनाम कोडाइकनाल मोटर यूनियन (पी) लिमिटेड (1986)  
3 एससीसी 91: 1986

(2) एससीआर 927; के.पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173:  
1982 (1) एससीआर 629 - संदर्भित।

मौनसेल वी। ओलिन्स (1975) आई ऑल ईआर 16; ल्यूक बनाम आईआरसी  
(1964) 54 आईटीआर 692:1963 एसी 557 (एचएल) - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

(2) एससीआर 324	त किया गया।	
1) 7 एससीसी 242	त किया गया।	
3) 2 एससीआर 252	त किया गया।	8
(3) एससीआर 317	त किया गया।	2
(2) एससीआर 962	संदर्भित.	3
(1) एससीआर 243	संदर्भित.	3
(1) पूरक SCR 9	त किया गया।	4
(1) एससीआर 574	त किया गया।	5
(2) एससीआर 927	त किया गया।	5
(1) एससीआर 629	त किया गया।	5

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 2007 की संख्या 4285

उच्च न्यायालय के दिनांक 1 8.01.2007 के निर्णय और आदेश से  
2006 की रिट याचिका (टी) संख्या 2664 में रांची में झारखंड न्यायालय रिट  
याचिका (टी) संख्या 2829, 2845, 3744, 3912, 3617, 3416, 3420,  
3733, 5747, 5600, 5603 और 5 ऑफ 2006

अपीलकर्ताओं के लिए अजीत कुमार सिन्हा, कृष्णानंद पांडेय, जयेश गौरव,  
शशांक सिंह, अमरेंद्र कुमार चौबे।

उत्तरदाताओं के लिए दुष्यंत ए दवे, नंदिनी गोर, कार्तिक भटनागर, अर्जुन शन्ना,  
खुशबू बारी, माणिक करंजावाला, देवाशीष भरुका, आसिया हसन, संजय  
जैन, विश्वजीत सिंह, गोपाल प्रसाद शामिल हैं।

न्यायालय के निम्नलिखित आदेश द्वारा दिए गए थे

**दीपक मिश्रा, जे. मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, प्रथम सेट प्रतिवादी** ने एचआरपी,  
राउंड, स्ट्रक्चरल और अन्य लौह और इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिए  
तत्कालीन बिहार में स्थित धनबाद में एक विनिर्माण इकाई स्थापित की

थी। बिहार राज्य ने दिनांक 22-12-1995 को ऐसी औद्योगिक इकाइयों को कर छूट और/अथवा आस्थगन के लिए एक औद्योगिक नीति तैयार की थी जिन्होंने 01/09/1995 और 31/08/2000 के बीच उत्पादन शुरू किया था। उक्त नीति बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "1981 अधिनियम") की धारा 23 A द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी की गई थी और नीति तैयार करने का उद्देश्य राज्य का औद्योगिक विकास था। नीति में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इकाई पॉलिसी के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। 936

यह नीति उद्योगों के विकास और नामित/निर्धारित क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से जारी की गई थी। जैसा कि स्पष्ट है, उक्त नीति द्वारा सरकार का इरादा देश के विभिन्न भागों से निवेशकों को अभिज्ञात क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। अन्य प्रोत्साहनों के अलावा, नीति के तहत प्रमुख प्रोत्साहनों में नीति में निर्धारित उत्पादन शुरू होने की तारीख से सामग्री की बिक्री और खरीद पर आठ साल की बिक्री कर छूट शामिल थी। नीति में समाविष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 1981 अधिनियम के अंतर्गत छूट अधिसूचना जारी की गई थी। अपीलकर्ता ने जमशेदपुर में 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। उचित विचार-विमर्श पर अंतिम निर्णय लेने के बाद, प्रतिवादी ने बिहार राज्य से प्रतिबद्धता का आश्वासन देने के लिए पुष्टि मांगी . बिक्री कर छूट प्रदान करें जैसा कि नीति में प्रोत्साहन के रूप में कहा गया है। बिहार राज्य के प्राधिकारियों और भारतीय स्टेट पुलिस लिमिटेड (आई) के बीच कई बैठकें हुईं। प्रतिवादी और चर्चा के अनुसरण में, नीति में कुछ संशोधन हुए, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पर 1874.04 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता वाले 1.02 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता वाली कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करने के लिए प्रतिवादी को एक संचार किया गया था। चर्चा और संचार के संबंध में, मैं

प्रतिवादी ने अपने दम पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया और 01.08.2000 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

2. जब मामला इस प्रकार था, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 15.1.2000 को अस्तित्व में आया, जिसके परिणामस्वरूप जमशेदपुर एक नए बने राज्य, अर्थात् झारखंड का हिस्सा बन गया। नए राज्य के लागू होने के बाद, 15-12-2000 को झारखंड के राज्यपाल ने अधिसूचना द्वारा आदेश दिया कि अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 2009 का प्रावधान किया गया है। कर (बिहार) नियम, 1956 और उसके तहत की गई अधिसूचनाएं, आदि अन्य अधिनियमों, नियमों और विनियमों के बीच, 15 ए. 2000 से पूरे झारखंड राज्य में बल 21.12.2000 को, उत्तरवर्ती राज्य ने एक छूट प्रमाण पत्र जारी किया जैसा कि बिहार राज्य वित्त और वाणिज्यिक द्वारा जारी पहले की अधिसूचना में विचार किया गया था। कर विभाग नई इकाइयों को छूट दे रहा है जिसमें 1 प्रतिवादी, क्रय कर के साथ-साथ कोल्ड रोलिंग मिल के संबंध में की गई खरीद और बिक्री पर बिक्री कर से। यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त आयुक्त द्वारा उचित जांच करने के बाद जारी किया गया था। उचित जांच के बाद, उन्होंने राय दी थी कि हालांकि सीआर एच के निर्माण के लिए कच्चा माल उत्पाद मानव संसाधन उत्पाद है, सीआर उत्पाद पूरी तरह से अलग है, दोनों में धातुकर्म घटक और अंतिम उपयोग, और दो उत्पाद थे व्यावसायिक रूप से विभिन्न उत्पादों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए, नई इकाई द्वारा निर्मित कोल्ड-रोल्ड उत्पाद पुरानी इकाई द्वारा निर्मित हॉटरोल्ड उत्पाद से अलग होने के कारण, अपीलकर्ता औद्योगिक नीति के तहत प्रदान किए गए बिक्री कर से छूट के हकदार थे। उस आधार पर उन्होंने प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी थी। तथापि, वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड ने स्वतः एक पहल की 1981 अधिनियम की धारा 46

(4) के तहत संशोधन और तेलंगाना स्टील इंडस्ट्रीज बनाम राज्य क्यूएफएपी पर निर्भरता रखना। यह निर्णय दिया गया कि दोनों उत्पादों को एक ही वस्तु माना जाना चाहिए और उत्पाद अलग-अलग वस्तुएं नहीं होने के कारण छूट का लाभ उपलब्ध नहीं था।

3. आयुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रथम प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसने अंततः मामले को सक्षम प्राधिकारी को यह जांचने के लिए भेज दिया कि क्या कंपनी की दो इकाइयों द्वारा निर्मित एचआर उत्पाद और सीआर उत्पाद एक ही या दो अलग-अलग उत्पाद हैं।

4. उपरोक्त आदेश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। झारखंड राज्य और अन्य<sup>1</sup> न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं और बार में उठाए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार आयोजित किया: -

"20. हम इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह राज्य का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी नई इकाई में निर्मित उत्पाद सीआरएम नहीं है। यह राज्य का मामला नहीं है कि मौजूदा इकाई या तो अपनी मशीनरी या अपनी प्रक्रिया से एचआरएम बनाने में सक्षम है न कि सीआरएम या दोनों का निर्माण करने में सक्षम है। बेशक, अगर इस तरह का मुद्दा उठाया जाना था तो बोझ अपीलकर्ता पर होगा उसी को स्थापित करें। जब इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया जाता है, तो अपीलकर्ता के लिए इस तरह के किसी भी आंतरिक साक्ष्य द्वारा उस तथ्य को स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

आयुक्त हमारी राय में यह तय करने के लिए पर्याप्त थे कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद सीआरएम है या नहीं और उक्त संयुक्त आयुक्त ने

सकारात्मक निष्कर्ष दिया है और आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजने में गलती की है।

094 supp. (2) SCC 259

938सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट[2016]एस.सी.आर.

21 . यह सच है कि आम तौर पर रिमांड के आदेश के खिलाफ यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में संकोच करता है क्योंकि पीड़ित पक्ष के लिए अपना मामला स्थापित करने का हमेशा एक और अवसर होता है। लेकिन इस मामले में हमें ध्यान देना चाहिए कि एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने का निर्णय अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 1997 में शुरू किया गया था। बिहार राज्य की औद्योगिक नीति में किए गए वादे के आधार पर, हर स्तर पर अपीलकर्ताओं ने यह सत्यापित करने और पुष्टि करने की कोशिश की कि वे छूट के लाभ के हकदार हैं या नहीं और उन्हें उस छूट का आश्वासन दिया गया था। यह इन आश्वासनों पर आधारित है कि अपीलकर्ता ने एक बड़ी राशि का निवेश किया जो अपीलकर्ता के अनुसार 2000 करोड़ रुपये है, लेकिन राज्य का कहना है कि यह 1400 करोड़ रुपये हो सकता है। आंकड़ा जो भी हो, तथ्य अभी भी बना हुआ है कि अपीलकर्ताओं ने अपनी नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने में भारी रकम का निवेश किया है। मशीनरी के निर्माण, प्रगति और स्थापना के प्रत्येक चरण पर संबंधित सरकार/प्राधिकारियों को सूचित किया गया था और किसी भी समय यह संदेह नहीं था कि नई इकाई का निर्माण कार्य बंद हो जाएगा

एचआरएम का निर्माण। एचआरएम और सीआरएम के निर्माण की प्रक्रिया, जैसा कि विशेषज्ञों की राय से देखा जा सकता है, पूरी तरह से अलग है और रिकॉर्ड पर सामग्री यह भी दर्शाती है कि एक नई इकाई के लिए संयंत्र डिजाइन सीआरएम के निर्माण के उद्देश्य से है। इन कारकों ने इस तथ्य के साथ युग्मित किया कि कार्यवाही के किसी भी चरण में, जो उच्च न्यायालय के फैसले में समाप्त हुआ, प्रतिवादी राज्य ने आयुक्त द्वारा उठाए गए तकनीकी आधार को छोड़कर इस तथ्य पर सवाल उठाया था,

जो गलत पाया गया है, हम पाते हैं कि मामले को आगे की जांच के लिए भेजकर न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और कंपनी को छूट प्रमाण पत्र देने के लिए संयुक्त आयुक्त द्वारा किए गए प्रस्ताव और बाद में दिए गए छूट प्रमाण पत्र को भी बहाल कर दिया।
6. पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में, प्रथम प्रतिवादी कंपनी ने छूट का लाभ उठाया। जैसा कि तथ्यों से पता चलता है, 01.04.2006 को, झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, "जे वैंट अधिनियम") लागू हुआ। इससे पहले, 1981 अधिनियम की धारा 7 (3) के तहत जारी अधिसूचना एसओ संख्या 202 दिनांक 30.03.2006 के माध्यम से, झारखंड राज्य ने अधिसूचना संख्या 478 और 479 दिनांक 22.01.1995 और एसओ संख्या 57 और 58 दिनांक 02.03.2000 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया था।

जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कर के भुगतान से छूट की सुविधा Aकच्चे माल की खरीद और इसके तैयार उत्पादों पर बिक्री कर के विस्तार की सुविधा भी वापस ले ली गई थी। 30.03.2006 को, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (5) (ए) के तहत एसओ संख्या 202 वाली एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 22.12.1995 को वापस ले ली गई थी।

† समय, धारा 95 (3) (i) का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

टी अधिनियम जो निम्नानुसार है: -

संक्रमणकालीन प्रावधान -

i) जहां एक पंजीकृत डीलर की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा था

नों के तहत उसे कर के भुगतान के लिए छूट दी गई

(घ) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने अथवा ऐसी औद्योगिक इकाइयों में नियत दिन से ठीक पहले विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को असमाप्त अवधि के लिए कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है या अचल संपत्ति के मूल्य का प्रतिशत जैसा कि उस अधिनियम के तहत ऐसे डीलर को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

8. झारखंड मूल्य वर्धित कर नियम, 2006 (संक्षेप में "नियम") का नियम 64 स्थगन से संबंधित है। उक्त नियम निम्नानुसार है: -

"64. स्थगन- (1) (a) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयां, जो निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के स्थगन का लाभ उठा रही थीं और नियत दिन से ठीक पहले जारी की गई अधिसूचनाएं, और जो अधिनियम के तहत ऐसे नियत दिन पर पात्र बनी हुई हैं, उन्हें कर के भुगतान के ऐसे स्थगन का लाभ जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, शेष समय सीमा समाप्त होने पर या नियत के सकल मूल्य के अन-प्राप्त प्रतिशत के लिए . (क) ऐसी औद्योगिक इकाइयों की परिसंपत्तियां सकल प्रभारियों के समक्ष अचल आस्तियों के सकल मूल्य की शेष असमाप्त अवधि अथवा प्राप्त न किए गए प्रतिशत के लिए नए पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म जेवैट 121 में आवेदन दायर करती हैं, जिसमें ऐसी इकाई पंजीकृत।

(ख) लाभ उठाने के लिए जारी की गई सभी प्रक्रिया और प्रावधान



निरसित अधिनियम में आस्थगन प्रवर्तन में जारी रहेगा और अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनाया गया माना जाएगा।

940 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2016] में एस.सी.आर.

(ग) सकल प्रभारी, ऐसे प्राप्त होने पर उप-नियम (ए) में उल्लिखित आवेदन एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें शेष असमाप्त अवधि या अचल संपत्तियों के सकल मूल्य का अनुपलब्ध प्रतिशत दर्शाया गया है।

बशर्ते ऐसी औद्योगिक इकाई उप-नियम (क) में उल्लिखित आवेदन उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर दायर करेगी, जिस दिन अधिनियम प्रवर्तन में आता है।

बशर्ते कि सर्कल का प्रभारी, इस तरह के आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर शेष असमाप्त अवधि के लिए एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ग (2) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयां, जो निरसित अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत दी गई अपने तैयार उत्पादों की बिक्री पर कर के भुगतान से छूट का लाभ उठा रही थीं, और जिन्होंने नियत दिन के रूप में अपनी पूर्ण हकदारी का लाभ नहीं उठाया है, को शेष असमाप्त अवधि के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने या अचल संपत्तियों के मूल्य के प्रतिशत का अनावरण करने का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि निर्धारित किया गया है, जो भी पहले हो, अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) (ii) के अनुसार।

बशर्ते कि उप-नियम (2) के तहत स्थगन के लिए पात्र कोई भी डीलर अधिनियम के तहत अपनी कर देयता को स्थगित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह फॉर्म जेवैट 121 में सर्कल के संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी पर लागू नहीं होता है, और इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, सर्कल का संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी फोर्न जेवैट 408 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

बशर्ते कि उप-नियम (2) में उल्लिखित इस तरह के स्थगन को अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) (ii) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि, यदि ऐसी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो औद्योगिक इकाई शेष असमाप्त अवधि या अनावरण प्रतिशत के लिए कर को स्थगित करने के लिए परिवर्तन का विकल्प चुनती है . (ख) यदि हां, तो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर उस सकल के प्रभारी के समक्ष जिसमें ऐसी इकाई पंजीकृत है, लागू होगा और उसके बाद सकल का प्रभारी शेष असमाप्त अवधि के लिए संशोधित पात्रता प्रमाणपत्र जारी करेगा या अचल परिसंपत्तियों के मूल्य का प्रतिशत प्रकट करेगा, ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह ठीक उचित और उचित समझे।

9. सांविधिक उपबंध और बनाए गए नियमों के अनुसरण में इसके तहत, प्रतिवादी ने 15 अप्रैल, 2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया कर के भुगतान के आस्थगन के तहत पंजीकरण के लिए। उक्त आवेदन में यह इस प्रकार कहा गया है: -

"झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" के अधिनियमन के साथ, जो 01.04.2006 से प्रभावी है, छूटों को परिवर्तित कर दिया गया है कर के भुगतान के स्थगन के लिए। हमने टाटा स्टील की उक्त छूट को वापस लेने और उसके स्थान पर कर प्रावधान के भुगतान को स्थगित करने के लिए अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया। हम भी आपसे प्रार्थना है कि भुगतान के उक्त स्थगन के प्रावधान की समीक्षा करें

गे और हमें मौजूदा बिक्री कर का लाभ उठाना जारी रखने की अनुमति दें . सीआर उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की खरीद के साथ-साथ सीआर उत्पादों की बिक्री पर छूट बिहार औद्योगिक नीति, 1995 और की गई अधिसूचना के अनुसार इसके बाद 31 जुलाई, 2008 तक ।

धिनियम और नियमों के अनुसरण में, हमें 15 तक आवेदन दाखिल करना होगा <sup>वां</sup> (घ) सरकार ने छूट को आस्थगन में परिवर्तित करने के लिए अप्रैल, 2006 से भी अधिक समय तक आवेदन किया है और हम इसके विरोध में आवेदन कर रहे हैं। संलग्न निर्धारित प्रारूप जेवैट 121 ।

आस्थगन की मांग करने वाले उक्त आवेदन को दिनांक 05-05-2006 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

क्योंकि 1 प्रतिवादी ने उक्त आवेदन दायर किया, इसने J VAT अधिनियम की धारा 95(3)(ii) और धारा 96(3) की वैधता को संवैधानिक चुनौती देते हुए 2006 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 2664 में उच्च न्यायालय का रुख किया। इसने अधिसूचना को वापस लेने को भी चुनौती दी और कहा कि कंपनी छूट का लाभ पाने की हकदार थी जो पहले ही दी जा चुकी थी और इसे वापस लेने का कोई औचित्य नहीं था। वही। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त याचिका को अन्य लोगों के साथ लिया और इस प्रकार आयोजित किया: -

यह धारण करने के बाद कि वचनबद्धता का सिद्धांत है वर्तमान मामले में प्रवर्तनीय, सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता किस राहत के हकदार थे। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, भले ही

आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थीं, छूट वैट अधिनियम की धारा 96 (3) के मद्देनजर अधिसूचनाओं को अन्यथा समाप्त कर दिया गया था

और याचिकाकर्ता उसके बाद छूट के लाभ के हकदार नहीं थे। हमने वैट अधिनियम की धारा 96 (3) सहित वैट अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

इसलिए, हम छूट लाभों को बनाए रखने में असमर्थ हैं धारा 96(3) के उपबंधों के कारण याचिकाकर्ताओं वैट अधिनियम। हालाँकि, राज्य जारी करने को सही नहीं ठहरा सकता है विभिन्न पहलुओं पर हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिज्ञा/न्यायसंगत स्थगन के सिद्धांत की प्रवर्तनीयता को बरकरार रखते हुए, जब इसका उद्देश्य वैध कर स्थगन से इनकार करना भी है वैट अधिनियम की धारा 95 (3) के तहत लाभ। इसलिए, हम रद्द करते हैं आक्षेपित अधिसूचनाएं एस.ओ. 201 और 202 दोनों दिनांक 30 मार्च, 2006 के आदेश के साथ-साथ दिनांक 5 मार्च, 2006 के आदेश में भी संशोधन किया गया है। मई, 2006 के लिए दावा खारिज करना वैट अधिनियम की धारा 95 (3) के तहत कर का स्थगन और प्राकृतिक रूप में इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता लाभ के हकदार होंगे वैट अधिनियम की धारा 95(3) के अनुसार कर का स्थगन। हम इन रिट याचिकाओं की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी-राज्य को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कर के स्थगन के लाभ की अनुमति दें (अ) , दिनांक 1995 की अधिसूचनाओं के साथ पठित औद्योगिक नीति के अंतर्गत शेष अवधि। 478,479 और 481 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 और एस.ओ. 57 और 58 दोनों दिनांक 2 मार्च, 2000, के अनुसार

वैट अधिनियम की धारा 95 (3) के प्रावधानों के साथ।

पूर्वोक्त आदेश इस सिविल में आक्रमण का विषय है विशेष अनुमति द्वारा अपील।

11. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा को सुना है

अपीलकर्ताओं के लिए और श्री दुष्यंत ए. दवे, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

12. प्रारंभ में, यह बताना आवश्यक है कि प्रथम प्रतिवादी ने कोल्ड रोलिंग मिल उत्पाद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाया था 01.08.2000 से 31.03.2006 तक। प्रारंभ में, दिनांक 01-08-2000 से 03-07-2008 तक छूट प्रदान की गई थी। यह विवाद में नहीं है कि मैं प्रतिवादी ने कर छूट से रूपांतरण के लिए आवेदन किया था शेष अवधि अर्थात् 01.04.2006 से 31.07.2008 तक कर के आस्थगन के लिए। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना संख्या 201 को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य को कर के आस्थगन की मंजूरी देने का निदेश दिया था जेवैट अधिनियम की धारा 95 (3) (ii) के तहत प्रतिवादी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि छूट का दावा किया गया था और प्रदान नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने विशेष अनुमति द्वारा अपील की थी, लेकिन उसका निपटारा पहले ही किया जा चुका है। बार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुद्दा जो वर्तमान एलआईएस के लिए मौलिक है, वह स्थगन का लाभ है और चुकौती की अवधि।
13. जब विशेष अनुमति याचिका 04-05-2007 को सूचीबद्ध की गई थी, निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था: -
- मामले की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक करदाता एक अलग खाता खोलेगा और आज से जो कर आस्थगित किया जा रहा है, उसे उस खाते में दिखाया जाएगा जो याचिका के परिणाम के अधीन होगा।
14. यह स्वीकृत स्थिति है कि निर्धारिती ने 01.04.2006 से 3.07.2008 की अवधि के लिए उपभोक्ताओं से कर एकत्र किया था और 3.07.2008 के

बाद कर एकत्र करना बंद कर दिया था। यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि दिनांक 12072013 को आईए सं 2013 में यह उल्लेख किया गया था कि 2013-10 के मामले में दिल्ली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। 2013 के 1 के अनुसार, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: - "पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि प्रतिवादी नं. 1 को छह मासिक किस्तों में प्रत्येक को 25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जब तक कि अपीलकर्ता-आवेदक को 186.70 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता को पहले से भुगतान की गई 20 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है- उम्मीदवार। 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान 31082013 तक कर दिया जाएगा।

15. हमें बार में अवगत कराया गया है कि उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है। हम पुनरावृत्ति की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि छूट का मुद्दा जीवित नहीं है और इसे श्री दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी। विचार के लिए उठने वाला एकमात्र मुद्दा जे वैंट अधिनियम के तहत उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में स्थगन नीति की व्याख्या है। धारा 95 (3) (ii) में परिकल्पना की गई है कि एक पंजीकृत डीलर जो कर की छूट का लाभ उठा रहा था, उसे जेवैंट अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट की सुविधा को असमाप्त अवधि के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने की सुविधा में बदलने की अनुमति है। निर्धारिती-कंपनी ने स्थगन का लाभ उठाया है और कर की राशि का भुगतान किया है। शिकायत की गंभीरता उस अवधि से संबंधित है जिसके भीतर राशि का भुगतान किया जाना था। राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा का निवेदन यह है कि कर के स्थगन की गणना इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिसूचना में प्रदान की गई तेरह वर्ष

की अवधि की गणना वर्ष 2000 से वर्ष 2013 तक की जा सके। संक्षेप में,

उनका तर्क है, जैसा कि निर्धारिती निर्धारित अवधि के भीतर आस्थगित कर का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा था, निर्धारिती विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

944

16. उपरोक्त कैविल का आधार होने के नाते, हम एसओ संख्या 480 दिनांक 22.12.1995 के प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं: -

"S.O. No. 480, दिनांक 22-12-1995:- प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में . बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम संख्या 5) भाग 1 की धारा 23 ए द्वारा, बिहार के राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उन नई इकाइयों को अनुमति देने की कृपा करता है जिन्होंने 01-09-1995 से 3-08-2000 के बीच उत्पादन शुरू किया था और जिनके पास निर्धारित प्राधिकारी से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है, देय बिक्री को स्थगित करने की अनुमति है

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित अवधि के लिए निर्मित तैयार माल की बिक्री पर कर:

5. औद्योगिक इकाइयों द्वारा आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान:-

- (1) आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान आस्थगन की पात्रता अवधि या नियत पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद किया जाना होगा। कुल आस्थगित राशि का पुनर्भुगतान दस समान छह-मासिक किस्तों में इस तरह से किया जाना चाहिए कि स्थगन की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके.
- (2) भाग (1) में यथा उल्लिखित निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आस्थगित राशि का भुगतान न करने की दशा में, चुकौती राशि पर 2.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से एफ की दर से साधारण ब्याज उस महीने तक देय होगा जिसमें भुगतान किया गया है। इस भाग के प्रयोजन के लिए, महीने का एक हिस्सा पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।
- (3) कोई इकाई विहित अवधि के भीतर आस्थगित राशि के पुनर्भुगतान में चूक करती है, तो उपर्युक्त भाग (2) में यथा उल्लिखित ब्याज सहित देय राशि की वसूली के लिए, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग-1 के धारा 49 के अधीन अभियोजन सहित कर की वसूली, देय राशियों की वसूली और शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सभी उपयुक्त उपबंध अधिनियम के अधीन की गई अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे।

[महत्व दिया]

वि० [सं०] [वि० स्त्री० मिश्र]

17. अधिसूचना में नियोजित भाषा पर भरोसा करते हुए, यह है Aश्री सिन्हा, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उक्त अधिसूचना में अपेक्षित कर का स्थगन 1 3 वर्षों की गणना के उद्देश्य से 3.08.2000 से शुरू होना चाहिए। पैरा 5 (1) में प्रयुक्त शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" की व्याख्या आस्थगन के व्यक्तिगत मामले की नींव पर निर्धारक होने के लिए व्यक्त करने के लिए नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि आस्थगन के लाभ का अनुदान आस्थगित के पुनर्भुगतान से जुड़ा हुआ है (क) क्या यह सच है कि भारतीय कर की वसूली की गई है और इस संदर्भ में ऐसा किया जाना

चाहिए कि चुकौती की अवधि 13 वर्षों अर्थात् 31/08/2013 के भीतर पूरी हो जाए।

18. उक्त सबमिशन का खंडन करते हुए, यह श्री दवे, सी द्वारा प्रचारित किया गया है।

निर्धारिती की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि स्थगन की शुरुआत की तारीख वह तारीख होनी चाहिए जब स्थगन शुरू होता है और 6f 13 साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए। उस आधार पर, उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि पुनर्भुगतान की अवधि 2006 से 13 वर्षों की समाप्ति के बाद ही समाप्त होगी, जिस वर्ष उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कर का स्थगन शुरू हुआ था। विद्वान वरिष्ठ वकील सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि जब अधिसूचना में नियोजित भाषा बिल्कुल सादा और स्पष्ट है, तो अर्थ को उसमें नियोजित शब्दों के लिए स्पष्ट शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने हंसराज गोरधनदास बनाम एचएच दवे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, सूरत के सहायक कलेक्टर और दो अन्य 3 में प्राधिकरण पर भरोसा किया है।

19. हमने अधिसूचना के प्रासंगिक पैराग्राफ को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर दिया है। जहां तक वहां की भाषा को ध्यान में रखा जा रहा है, हमें हंसराज गोरधनदास (सुप्रा) में जो कुछ निर्धारित किया गया है, उसकी सराहना करनी होगी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दवे ने जिस अंश से प्रेरणा ली है, वह इस प्रकार है:-

"प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह छूट सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए थी, जो न केवल सूती कपड़ों का उत्पादन करती थीं, बल्कि जिसमें न केवल स्वामित्व वाले बल्कि वास्तव में सदस्य भी शामिल थे सोसायटी में शामिल होने से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान चार से अधिक पावर-लूम संचालित नहीं किए गए।

नीति . यह था कि ऐसे प्रत्येक सदस्य को अपने करघे को अपने दम पर संचालित करने के बजाय, उसे एक समाज बनाकर दूसरों के साथ गठबंधन करना चाहिए जो, .

---

<sup>3</sup> (1969) 2 एससीआर 252

946

सहकारी प्रयास के माध्यम से कपड़े का उत्पादन करना चाहिए। आशय यह था कि उत्पादित माल जिसके लिए छूट का दावा किया जा सकता है, वह समाज द्वारा अपनी ओर से उत्पादित माल होना चाहिए। हम उत्तरदाताओं की ओर से दी गई दलील को सही मानने में असमर्थ हैं। 31 जुलाई, 1959 और 30 अप्रैल, 1960 की अधिसूचनाओं की भाषा के सही निर्माण पर यह स्पष्ट है कि छूट का दावा करने के लिए केवल यह आवश्यक है कि सूती कपड़ों का उत्पादन सहकारी समिति के स्वामित्व वाले पावर-लूमों पर किया जाना चाहिए। इन दोनों अधिसूचनाओं के अंतर्गत आगे यह अपेक्षा नहीं है कि सूती वस्त्रों का उत्पादन सहकारी समिति द्वारा विद्युतकरघों पर स्वयं के लिए किया जाए। यह स्थापित किया गया है कि एक कर कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए सम्मान किया जाना चाहिए। पूरा मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा शासित होता है। यदि करदाता छूट की स्पष्ट शर्तों के भीतर है, तो उसे छूट देने वाले प्राधिकारी के किसी भी कथित इरादे से सहायता में कॉल करके इसके लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा इरादा है .

अधिसूचना के शब्दों के निर्माण से या उससे आवश्यक निहितार्थ से इकट्ठा किया जाए, मामला अलग है लेकिन यहां ऐसा नहीं है."

20. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णय यह काफी स्पष्ट करता है कि एक कर कानून में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन संबंध शब्दों के

स्पष्ट अर्थ के लिए किया जाना चाहिए. पूरा मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा शासित होता है। संविधान पीठ द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि करदाता छूट की स्पष्ट शर्तों के भीतर है, तो छूट देने वाले प्राधिकारी के किसी भी कथित इरादे को सहायता देकर इसके लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उसमें यह भी कहा गया है कि यदि अधिसूचना के शब्दों के निर्माण से या उससे आवश्यक निहितार्थ से अलग आशय निकाला जा सकता है, तो मामला अलग है। बड़ी बेंच ने उक्त सिद्धांत को उसमें शामिल मामले पर लागू नहीं किया है।

21. इस संदर्भ में, हम मौनसेल बनाम ओलिन्स में लॉर्ड रीड के शब्दों को दोहरा सकते हैं। जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया है: -

"फिर निर्माण के नियमों पर भरोसा किया जाता है। वे कुछ बाध्यकारी बल होने के सामान्य अर्थों में नियम नहीं हैं। वे हमारे

---

हैं हमारे मालिक नहीं। वे निर्माण, पूर्वाभास या संकेत के लिए सहायक हैं। अक्सर एक 'नियम' एक दिशा में इंगित नहीं करता है, दूसरा एक अलग दिशा में। प्रत्येक मामले में हमें सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को देखना चाहिए और निर्णय के मामले के रूप में निर्णय लेना चाहिए कि किसी विशेष 'नियम' को क्या वजन देना है। ;

उक्त गद्यांश को उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य मामले में न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

सेर्स डोयपैक सिस्टम्स प्रा. भारत संघ और अन्य  
 7 संकल्पना पर बल देते हुए दो न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई है।

ग इस प्रकार है:-

कानून में शब्दों को, प्रथम दृष्टया, उनके सामान्य अर्थ दिए जाने चाहिए। जहां व्याकरणिक बनावट स्पष्ट है और प्रत्यक्ष और संदेह नहीं है, वह बनावट तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ मजबूत और स्पष्ट कारण न हों। वारंट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि शाब्दिक निर्माण को प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए। देखें चंदावरकर एस.आर. राव बनाम आशालता 44 हाल्सवरीज का ला आफ इंग्लैंड, 4 वां संस्करण, पृष्ठ 552 पर पैरा 856, नोक्स बनाम डोनकास्टर एन, 'अल्गाजनेटेड कोलियरीज लिमिटेड। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

इह दोहराया जाना चाहिए कि किसी कानून की व्याख्या का उद्देश्य अधिनियम में व्यक्त संसद के इरादे की खोज करना है। एक कानून के निर्माण में प्रमुख उद्देश्य विधायिका के इरादे का पता लगाना है जैसा कि कानून में व्यक्त किया गया है, इसे एक के रूप में मानते हुए

और इसके संदर्भ में। यह इरादा, और इसलिए कानून का अर्थ, मुख्य रूप से कानून में प्रयुक्त शब्दों में मांगा जाना चाहिए, जो, यदि वे सादे और स्पष्ट हैं, तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

केशवजी रावजी एंड कंपनी और अन्य बनाम आयकर आयुक्त के मामले में उपर्युक्त सिद्धांत को दोहराया गया है<sup>9</sup> . .

---

<sup>1</sup> (1987) 3 एससीसी 279

<sup>6</sup> 0988) 2 एससीसी 299

<sup>7</sup> (1986) 4 एससीसी 447, 476

<sup>8</sup> 1940 एसी 1014, 1022

<sup>9</sup> (1990) 2 एससीसी 231

948

24. इस संबंध में महादेव प्रसाद बैस (मृत) बनाम आयकर अधिकारी क वार्ड, गोरखपुर और अन्य का संदर्भ बिल्कुल प्रतीत होता है। उक्त मामले में, यह माना गया है कि एक व्याख्या जिसके परिणामस्वरूप विसंगति या बेतुकापन होगा, से बचा जाना चाहिए और जहां शाब्दिक निर्माण एक विसंगति, बेतुकापन और भेदभाव पैदा करता है, कानून को उदारतापूर्वक भाषा पर थोड़ा दबाव डालने के लिए भी समझा जाना चाहिए ताकि अर्थहीन विसंगति से बचा जा सके। इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि यदि कोई व्याख्या बेतुकापन की ओर ले जाती है, तो इससे बचना अदालत का कर्तव्य है।

25. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम आयकर आयुक्त महापात्र, जे ने कहा है कि व्याख्या को वैधानिक प्रावधान के इरादे एवं उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए

उस संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश ने तमिलनाडु राज्य बनाम कोडाइकनाल मोटर यूनियन (पी) लिमिटेड में प्राधिकरण को संदर्भित किया है। जिसमें यह न्यायालय केआर वर्गीज बनाम आईटीओ ल्यूक बनाम आईआरसी का उल्लेख करने के बाद देखा है :

"अदालतों को हमेशा विधान-मंडलकी मंशा का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए

यद्यपि न्यायालयों को प्रयुक्त भाषा से कानून की मंशा का पता लगाना चाहिए, लेकिन भाषा प्रायः मानव विचार की अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण साधन है। जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, यह उम्मीद करना बेकार होगा कि हर वैधानिक प्रावधान को दिव्य पूर्वज्ञान और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया जाए। जैसा कि जज विद्वान ने

कहा, हमें शब्दकोश से किला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि विधियों का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी कल्पनाशील खोज न्यायिक शिल्प कौशल है। हमें हमेशा साहित्यिकता से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है और हमें अन्यायपूर्ण या बेतुके परिणाम से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक अप्रिय शब्द प्रावधान से बाहर निकलने के लिए, जहां उद्देश्य न्यायिक आंखों के लिए स्पष्ट है, भाषा के लिए 'कुछ' हिंसा की अनुमति है।

(1991) 4 एससीसी 560

(2001) 3 एससीसी 359

(1986) 3 एससीसी 91

0981) 4 एससीसी 173

झारखंड राज्य बनाम टाटा स्टील लिमिटेड

[दीपक मिश्रा, जे.एल.

26. सभरवाल, जे. (जैसा कि तब उनका आधिपत्य था) ने इस प्रकार कहा है:-

यह निर्माण का अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियम है कि एक वैधानिक

प्रावधान को इतना समझा जाना चाहिए, यदि संभव हो तो, कि बेतुकापन और

गलती से बचना चाहिए यह माना गया कि बनावट का सुझाव दिया गया था राजस्व की ओर से एक पूरी तरह से अनुचित होगा . परिणाम जो विधायिका द्वारा कभी नहीं किया जा सकता था। यह कहा गया था कि धारा 52(2) की व्याख्या की अक्षरशः व्याख्या से बचा जाना चाहिए और न्यायालय को ऐसी व्याख्या पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जो बेतुकेपन और शरारत से बचती हो और उपबंध को तर्कसंगत, विवेकपूर्ण बनाती हो, जब तक कि न्यायालय के हाथ बंधे न हों और वह निरंकुशता से बच न सके . शाब्दिक व्याख्या का। ऐसा कहा जाता है कि अब यह अच्छी तरह से स्थापित नियम है . निर्माण कि जहां एक वैधानिक प्रावधान की सादा शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है जो विधायिका द्वारा कभी भी इरादा नहीं किया जा सकता था, अदालत विधायिका द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकती है या यहां तक कि इसके लिए "कुछ हिंसा कर सकती है", ताकि विधायिका के स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत निर्माण किया जा सके। ऐसे मामले में न्यायालय वैधानिक प्रावधान में एक शर्त पढ़ सकता है, जो हालांकि व्यक्त नहीं की गई है, वैधानिक प्रावधान में अंतर्निहित बुनियादी धारणा के निर्माण में निहित है। "

H(1964) 54 [टीआर 692: 1963 एसी 557 (HL)]

27. पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना में नियोजित भाषा की सराहना की जानी चाहिए। कर के आस्थगन का लाभ कुछ नियमों और शर्तों के तहत प्रदान किया जाता है। शर्तों में से एक और शर्त औद्योगिक इकाई द्वारा कर राशि के आस्थगन के पुनर्भुगतान से संबंधित हैं। पैरा 5 के उप-पैरा (1) के पहले भाग में कहा गया है कि आस्थगित कर राशि का पुनर्भुगतान की पात्रता अवधि या निश्चित पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद करना होगा। मामले में वर्तमान में, छूट की अवधि को कर के स्थगन की अवधि में परिवर्तित कर दिया गया है। यह 8 साल के लिए है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है

कि निर्धारिती ने 6 वर्ष की अवधि के लिए छूट का लाभ उठाया था और वह वर्ष 2006 में शुरू हुई शेष अवधि के लिए कर आस्थगित करने का हकदार है। यह उक्त उप-पैरा का अगला भाग है जिसे समझने की आवश्यकता है। अधिसूचना एक स्पष्ट अभिधारणा देती है कि कुल आस्थगित की चुकौती राशि दस समान छह मासिक किस्तों में इस तरह से किया जाना होगा एक तरीका जिससे स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके। शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" का शुरुआत में बताई गई नीति के साथ संबंध होना चाहिए। • नीति लागू होगी यदि इकाई 01.09.1995 और 31.08.2000 के बीच शुरू हुई है; कि इसके पास निर्धारित प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाणन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे

950

पॉलिसी केवल तभी लागू होगी जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी और फिर निर्धारिती को निर्धारित अवधि के लिए विनिर्मित तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर के आस्थगन का लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। इसलिए, प्राधिकरण को स्थगन प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। शुरुआत में, प्रथम प्रतिवादी को छूट दी गई थी। छूट की अवधारणा कर के स्थगन की अवधारणा से अलग है। जेवीएटी अधिनियम लागू होने के बाद, वैधानिक प्रावधानों के तहत, कोई छूट नहीं थी और लाभार्थी स्थगन की योजना में परिवर्तित होने के हकदार थे। अवधि बरकरार रहती है, यानी 8 साल। चुकौती समान छह मासिक किस्तों में की जानी है और यह अवधि 5 वर्ष है। ग चुकौती आस्थगन की पात्रता अवधि या

स्थायी पूंजी निवेश की निर्धारित प्रतिशत सीमा, जो भी पहले हो, के पूरा होने के बाद शुरू होती है। निर्धारित प्राधिकारी पात्रता प्रमाण पत्र दे सकता है लेकिन उसे पात्रता प्रमाण पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। . अधिसूचना। उक्त प्राधिकरण अधिसूचना की शर्तों से परे नहीं जा सकता है। अधिसूचना में नियोजित भाषा बताती है कि

प्रमाण पत्र प्रदान करना ऐसा होना चाहिए कि पात्रता अवधि की समाप्ति के बाद, राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए लेकिन यह अंतर स्थगन की शुरुआत की तारीख से 13 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। उसमें प्रतिष्ठापित अभिधारणा की सराहना की जानी चाहिए। यह अधिसूचना से नहीं निकलता है कि यदि कोई लाभ 8 साल के लिए या ई कम अवधि के लिए दिया जाता है, तो निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकता है कि पुनर्भुगतान होना है . अनुदान की तारीख से 13 वर्षों के भीतर पूरा किया गया। इस मामले में, निर्धारिती का दावा है कि पुनर्भुगतान अनुसूची को 2006 से 13 साल की अवधि के लिए जारी रखना है, स्थगन के लिए केवल 2006 में शुरू हुआ। इस तरह की व्याख्या न केवल अधिसूचना में नियोजित भाषा के लिए गंभीर हिंसा का कारण बनती है, बल्कि अगर इसे समझने की अनुमति दी जाती है

ऐसे में यह एक बेतुकी स्थिति पैदा करेगा। इसके अलावा, अधिसूचना से इरादा निकाला जा सकता है कि इसे 13 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ पात्रता की तारीख से संबंधित होना चाहिए। इसका अर्थ पात्रता अवधि के पूरा होने की तारीख से 1 3 वर्ष नहीं लगाया जा सकता है। चुकौती अनुसूची पात्रता की समाप्ति से 5 वर्ष है आस्थगन की अवधि जी। 5 वर्ष की अवधि को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह स्थगन की तारीख से 13 वर्ष से अधिक न हो। पैरा

5 (1) में नियोजित भाषा को उचित अर्थ देने के लिए इस तरीके से समझा जाना चाहिए। अन्यथा, निर्धारिती की ओर से प्रतिपादित व्याख्या से विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि जहां तक चुकौती की तारीख से 5 वर्ष के भीतर चुकौती की अनुसूची के निर्धारण का संबंध है।

ड राज्य बनाम टाटा स्टील लिमिटेड

[दीपक मिश्रा, जे.एल.]

अवधि पूरी करना, पूरी तरह से निष्क्रिय और एक तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। शब्द "स्थगन की शुरुआत की तारीख से" को निर्धारिती के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह वैधानिक व्याख्या का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि कोई व्याख्या बेतुकापन की ओर ले जाती है, तो उससे बचा जाना चाहिए। यहां यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसका इरादा, उद्देश्य और कार्य बिल्कुल स्पष्ट है। शब्दों पर की गई सरल व्याख्या वास्तव में संदर्भ से परे है और इसलिए, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि पुनर्भुगतान अनुसूची को पात्रता अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 31.08.2013 को समाप्त करना होगा।

28. इतना कहने के बाद, हम संयुक्त मूल्यांकन अधिनियम के अंतर्गत ब्याज और शास्ति अधिरोपित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नियमों के 66 में नियमों के उल्लंघन के लिए भुगतान का प्रावधान है। हम तुरंत यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नियमों के नियम 66 के

तहत परिकल्पित जुर्माना लगाने का सवाल मौजूदा मामले पर लागू नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं वर्तमान मामला विशेष विशेषताओं को पेश करता है। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप-पैरा 2 के अनुसार राजस्व प्रति माह 2.5% ब्याज का हकदार है। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह ब्याज लगाने का मामला नहीं है। मामले की विशेष विशेषताओं के संबंध में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती-। प्रतिवादी पहले ही जमा कर चुका था इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राशि और मुकदमेबाजी की प्रकृति के संबंध में, हम निर्देश देते हैं कि 1 प्रतिवादी-निर्धारिती प्रति वर्ष 12% ब्याज का भुगतान करेगा और उक्त राशि तीन महीने के भीतर राजस्व के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी।

29. परिणामस्वरूप, अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।